


पंचायत स्वशासन से ग्रामीण भारत में बदलाव

माड्युल PRIs — 02

(सरपंच, सचिव और प्रशिक्षकों हेतु)

पंचायत पदाधिकारियों के दायित्व और

अधिकार



Azim Premji
Philanthropic
Initiatives



टी.आर.आई.एफ. कार्यक्रम

समय	विषय	विषयवस्तु	पद्धति	अपेक्षित परिणाम
00.30	● परिचय	● आपसी परिचय	● सहभागी पद्धति से परिचय	●
00.30	● पंचायती राज	<ul style="list-style-type: none"> ● म.प्र. पंचायती राज अधिनियम 1993 की विशेषता ● ग्राम पंचायत, जनपद एवं जिला पंचायतों के कार्य 	<ul style="list-style-type: none"> ● खुली चर्चा ● संवाद ● सवाल जबाब 	<ul style="list-style-type: none"> ● 73 वाँ संविधान संसोधन पर समझ ● त्रिस्तरीय पंचायातों के कार्य पर समझ
01.00	● ग्राम पंचायत के संचालन की प्रक्रिया	<ul style="list-style-type: none"> ● ग्राम पंचायत की बैठक की प्रक्रिया ● बैठकों का कोरम ● पंचायत बैठकों की निर्णय प्रक्रिया ● बैठकों में पंचों की भागेदारी का महात्व ● सरपंच एवं उपसरपंच के कार्य ● पंचों के कार्य ● पंचायत सचिव एवं जेआरएस के कार्य 	<ul style="list-style-type: none"> ● फ़िल्म ● संवाद ● सवाल जबाब 	<ul style="list-style-type: none"> ● पंचायत की बैठकों के महत्व एवं निर्णय प्रक्रिया पर समझ ● पंचों की भूमिका पर समझ ● पंचायत प्रतिनिधियों की जिम्मेदारीयों एवं अधिकारों पर समझ ● सचिव एवं जेआरएस के कार्य एवं अधिकारों पर समझ
00.45	● पंचायत प्रतिनिधियों को पद से प्रथक करने के प्रावधान क्या और कैसे	<ul style="list-style-type: none"> ● पंचायत प्रतिनिधियों को कब पद से हटाया जा सकता है। ● पंचायत प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की प्रक्रिया 	<ul style="list-style-type: none"> ● खुली चर्चा ● संवाद ● सवाल जबाब 	<ul style="list-style-type: none"> ● पंचायत प्रतिनिधियों के पद से प्रथक होने की प्रक्रिया पर समझ ● पंचायत अंतर्गत कार्यरत कर्मचारयों के नियंत्रण पर समझ
01.00	● पंचायत की स्थाई समितियों क्यों और कैसे	<ul style="list-style-type: none"> ● पंचायत की स्थाई समितियों का गठन एवं उनके कार्य ● स्थाई समितियों के संचालन की प्रक्रिया ● समितियों के मुख्य कार्य एवं जिम्मेदारीयों 	<ul style="list-style-type: none"> ● भाषण ● संवाद ● सवाल जबाब 	<ul style="list-style-type: none"> ● पंचायत समितियों के गठन के महात्व पर समझ ● समितियों के संचालन प्रक्रिया पर समझ

नोट -: सत्रों के संचालन में प्रायस किया जाये अगर संसाधन नहीं हैं तो उन सत्रों को सहभागी रूप से संचालित किया जाये भाषण पद्धति का उपयोग कम से कम किया जाये। जैसे अगर फ़िल्म दिखाने के संसाधन नहीं हैं तो उसके द्वश्यों पर चर्चा की जाये,

परिचय

परिचय एक महात्पूर्ण प्रक्रिया है किसी प्रशिक्षण के वातावरण निर्माण की इस लिए इसे सावधानी पूर्व किया जाये। परिचय के माध्यम से प्रशिक्षण पर प्रवेश करने में मदद मिलती है। यदि प्रतिभागीयों को एकत्र होने में 1–2 घंटे लगने की संभावना हो तो विस्तृत परिचय की विधि चुने जिसमें परिचय के साथ साथ विषय के संबंध में भी कुछ चर्चा हो सकती है। जिससे की प्रतिभागीयों की विषय पर समझ ज्ञान रुचि एवं अनुभवों का आंकलन किया जा सके और आगे आने वाले सत्र इस जानकारी पर आधारित हो सके। प्रयास करना चाहिए कि परिचय रुचिकर हो और प्रतिभागीयों के अनुकुल हो। नीचे कुछ परिचय विधि दी हुई है लेकिन आप सोच समझकर कोई अन्य विधि भी प्रयोग कर सकते हैं।

परिचय विधि नंबर-1

सामान्यतः देखा गया है कि प्रशिक्षण या बैठकों में सहभागीयों को इकट्ठा होने में 30–40 मिनिट का समय लग जाता है। यदि ऐसी स्थिति हो तो सहजकर्ता यह करें –

सहभागीयों का पंजीयन करते जाएं और विषम पंजीयन क्रमांक (1,3,5,...) वाले सहभागीयों से निम्न प्रश्न पूछते जायें –

कोई एक ऐसा काम जो पंचायत कर पायी?

इसी प्रकार सम पंजीयन क्रमांक (2,4,6,...) वाले सहभागीयों से निम्न प्रश्न पूछते जायें –

कोई एक ऐसा काम जो पंचायत नहीं कर पायी?

सहजकर्ता सहभागीयों द्वारा दिये गये जवाबों की सूची तैयार करते जायें। इस प्रक्रिया में सहजकर्ता एक-एक कर सभी सहभागीयों से परिचित हो पाएंगे, समय का सदुपयोग हो सकेगा तथा पंचायत द्वारा कराए गए और नहीं कराए गये कामों की सूची भी तैयार हो जाएगी। सहजकर्ता, सहभागीयों के साथ चर्चा कर उन्हें यह जानने और अहसास कराने का प्रयास करें कि जो काम हो पाये उनके क्या कारण थे तथा जो नहीं हो पाये उनके क्या कारण हैं।

परिचय विधि नंबर-2

यदि सभी सहभागी एक साथ आ जाएं तो सहभागीयों को उनकी संख्या अनुसार छोटे-छोटे समूह में बाटें। प्रत्येक समूह को परिचय विधि नं०-१ में दिये गये दोनों प्रश्नों के जवाब में पंचायत द्वारा कराए गए और नहीं कराए गये काम बताएगा। सहजकर्ता, सहभागीयों द्वारा दी गई जानकारियों को सूचीबद्ध कर दोनों प्रकार कामों के कारणों का सहभागी तरीके से विश्लेषण कराएं।

परिचय विधि नंबर-3

जोडे में परिचय कराना जिसमें अपने साथी का परिचय देना है। परिचय के साथ आप किसी भी तरह के उचित प्रश्न जोड़ सकते हैं जैसे—परिवार के बारे में जानकारी, मोहल्ले की परेशानियों के बारे में, दिनचर्या के बारे में इससे लोगों को सहज बनाने में मदद मिलती है।

यहाँ पर प्रतिभागियों को प्रथम माड़युल में त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्य के बारे में जानकारी प्रदान की गई थी इस माड़युल में पूनः पंचायतों पर सक्षित चर्चा करते हएं सत्र को संचालित करना है।

प्रथम सत्र

00.30

पंचायत राज

पंचायत राज व्यवस्था की बात करने से पहले हमें अपने समाज की पंचायतों और आज की पंचायतों की मुख्य बातें समझनी होगी। परम्परागत समाज की पंचायतों का स्वरूप अनौपचारिक था, उसके कायदे—कानून लिखित में नहीं होते थे फिर भी उनका प्रभाव समाज पर ज्यादा होता था। पंचायत के फैसले के खिलाफ जाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। पंचायत के पंचों का बहुत सम्मान था, उन्हें पंच परमेश्वर तक कहा जाता था। पंचायतों के पास समाज का भरोसा और ताकत भी थी। जबकि आज की पंचायतों के पास समाज की नहीं सरकार के कानून की ताकत है। इनका रूप औपचारिक है, हर बात कायदे—कानून के रूप में लिखी है।



पहले की पंचायतों में कुछ कमियां भी थी जैसे पुरानी पंचायतों में महिलाओं के लिये कोई स्थान नहीं था, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े गरीब लोगों के लिये कोई जगह नहीं थी। अक्सर बड़ी जाति के सम्पन्न लोगों का बोल—बाला रहता था। लेकिन आज की पंचायतों में महिलाओं के लिये पचास प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की उनकी जनसंख्या के अनुसार जगह तय है। इस तरह हम देखते हैं कि आज की पंचायतों में ऊँच—नीच, महिला—पुरुष आदि का भेद—भाव मिटाने की कोशिश की गई है। पहले की पंचायतों में सजा के तौर पर सबके सामने अपशब्द कहना, शारीरिक दण्ड देना और अपमानित करना एक आम बात थी। लेकिन आज की पंचायतों में किसी भी तरह का अपमानजनक व्यवहार कानूनी तौर पर नहीं किया जा सकता। पुरानी पंचायतों का ज्यादा जोर

विवाद निपटाने और न्याय करने पर होता था। जबकि आज पंचायतों का ज्यादा जोर गॉव के विकास पर है।

आज की पंचायतों को कानून का आधार जरूर मिल गया है परन्तु समाज का लगाव पहले की तरह नहीं है। सरकारी कायदे—कानून और काम करने के तरीके (प्रक्रिया) कुछ जटिल हैं जो, समाज के वास्तविक तौर—तरीकों से बहुत दूर हैं। दोनों व्यवस्थाओं के अपने गुण और दोष हैं, उनकी ताकत और कमज़ोरियां हैं। यदि दोनों व्यवस्थाओं की कमज़ोरियों और दोषों को दूर कर इनकी ताकत और गुणों को अपनाया जाए तो आदर्श पंचायत राज व्यवस्था स्थापित हो सकती है।

आजादी के बाद सन् 1957 में भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के परिणामों के अध्ययन हेतु बलवन्त राय मेहता समिति का गठन किया गया। समिति ने अपने अध्ययन में पाया कि विकास कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों की भागीदारी नहीं होने से वे असफल हो रहे हैं इनकी सफलता के लिये पंचायतीराज के रूप में विकेन्द्रीकृत लोकतंत्र व्यवस्था की स्थापना की अनुसंशा की।

1978 में अशोक मेहता समिति ने भी पंचायतों को असरदार बनाने के लिये कहा कि जब तक पंचायतों के काम में सरकार दखल देती रहेगी पंचायतें स्वायत्त संस्था नहीं बन सकती। अंततः 1992 में संविधान में 73वां संशोधन कर देश में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने एवं इनके माध्यम से विकास योजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया गया। संविधान के 73वें संशोधन के बाद सन् 1993 में मध्यप्रदेश में म0प्र0 पंचायतराज अधिनियम 1993 विधानसभा से पारित किया गया।

मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम १९९३ की विशेषताएं

मध्यप्रदेश में दिसम्बर 1993 में पंचायतराज अधिनियम पारित किया गया। इसे 24 जनवरी 1994 को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हुई। 25 जनवरी 1994 को मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र में प्रकाशित होते ही यह अधिनियम पूरे राज्य में प्रभावशील हो गया। इस अधिनियम में कुछ संशोधन करते हुए 30 मई 1994 को अध्यादेश जारी किया गया। मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की विशेषताएं इस प्रकार हैं—

- (1) प्रत्येक राजस्व एवं वन ग्राम के लिए ग्राम सभा होगी। इस ग्राम सभा का सदस्य हर वह व्यक्ति होगा जिसका

- अनुसूचित क्षेत्रों की प्रत्येक पंचायत में अजा/अजजा के लिये स्थानों का आरक्षण उस पंचायत में उनकी अपनी—अपनी जनसंख्या के आधार पर होगा लेकिन अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा।
- अनुसूचित क्षेत्रों की सभी स्तरों की पंचायतों के सरपंच एवं अध्यक्षों के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित होंगी।
- अनुसूचित क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये उतने स्थान आरक्षित किये जायेंगे जो कि अजा/अजजा के लिये आरक्षित स्थानों को मिलाकर पंचायत के कुल स्थानों के तीन—चौथाई से अधिक नहीं होंगे।

नाम इस गांव की मतदाता सूची में हो। धारा-2(आठ)

- (2) ग्राम सभा की तीन माह में कम से कम एक बैठक करना अनिवार्य है। धारा-6(1)
- (2.1) ग्राम के लिये ग्राम पंचायत, खण्ड के लिये जनपद पंचायत और जिले के लिये जिला पंचायत का गठन किया गया है। (धारा-8)
- (3) प्रत्येक पंचायत की कार्य अवधि (समय) पंचायत की पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष की होगी जब तक कि इसे समय से पहले कानूनन विघटित (भंग) न किया जाये। इस अवधि में पंचायत के विघटित होने के छः माह के भीतर अगले चुनाव कराया जाना जरूरी है। (धारा-9-2ख)
- (4) किसी भी क्षेत्र के भीतर अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का कुल जनसंख्या में जो अनुपात है उसी अनुपात में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिये पद आरक्षित किये जायेंगे। जैसे राज्य की जनसंख्या में इन जातियों का जो अनुपात है उसके आधार पर जिला पंचायत के अध्यक्षों के पद, जिले की कुल जनसंख्या में इन जातियों की जनसंख्या का जो अनुपात है उसी आधार पर जिले की जनपद पंचायत के अध्यक्षों के पद एवं जनपद पंचायत की कुल जनसंख्या में इन जातियों की जनसंख्या का जो अनुपात है उसी अनुसार जनपद पंचायतों में ग्राम पंचायत के सरपंचों के पद आरक्षित किये गये हैं।

उदाहरण के तौर पर यदि किसी राज्य में अजा एवं अजजा की कुल जनसंख्या उस राज्य की कुल जनसंख्या का 60 प्रतिशत है तो उस राज्य के सभी जिला पंचायतों में से 60 प्रतिशत जिला पंचायतों के अध्यक्षों के पद अजा एवं अजजा के लिये आरक्षित होंगे इसी प्रकार जनपद और ग्राम पंचायतों के लिये पद आरक्षित होंगे। (धारा-17, 25 एवं 32)

- (4.1) जिस जिले एवं जनपद पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या आधे से कम है वहां जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत के सरपंचों के कुल पदों के 25 प्रतिशत (एक चौथाई) पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित किये जायेंगे। (धारा-17, 25 एवं 32)
- (4.2) संविधान की पॉचवी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहते हैं।
- (4.3) अनुसूचित जाति की ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच/उपसरपंच तथा पंच के अलावा अन्य अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा किये जाने का प्रावधान है।
- (5) यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष, जनपद पंचायत का अध्यक्ष या ग्राम पंचायत का सरपंच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का नहीं है तो उपाध्यक्ष/उप सरपंच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़े वर्ग के सदस्यों में से चुना जावेगा। (धारा-17, 25 एवं 32)

- (6) पंचायतों के निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने के लिये प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। (धारा—42)
- (7) ग्राम पंचायत में 10 से 20 वार्ड, जनपद पंचायत में 10 से 25 एवं जिला पंचायत में 10 से 35 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड से एक पंच होगा, जनपद एवं जिला पंचायत के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य होगा जो एक से अधिक वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत से एक सरपंच तथा एक उप सरपंच होगा। इसी तरह जनपद व जिला पंचायत में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के एक—एक पद होंगे।
- (8) जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत के सभी पदों के लिये तय कुल स्थानों में से पचास प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे।
- (9) ग्राम पंचायत के पंच एवं सरपंच, जनपद के सदस्य तथा जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव सीधे मतदान के द्वारा होगा। जनपद तथा जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य अपने में से अध्यक्ष का चुनाव करेंगे।
- (10) प्रत्येक ग्राम पंचायत में उप सरपंच तथा जनपद व जिला पंचायत में उपाध्यक्ष का पद होगा जो कि उस पंचायत के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है।
- (11) यदि सरपंच या उप सरपंच लोकसभा, विधान सभा या राज्य सभा का सदस्य अथवा सहकारी समिति का सभापति या उप सभापति हो जाता है तो वह सरपंच अथवा उप सरपंच के पद पर नहीं रह सकेगा और पद तत्काल रिक्त हो जाएगा।
- (12) जनपद और जिला पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात वही होगा जो उस जनपद या जिला पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है। (धारा—23 और 30)
- (13) जिन जनपद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या आधे या आधे से कम है वहां पर अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जा सकेंगे।
- जिले में जनपद पंचायत के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उसी अनुपात में आरक्षित किया जायेगा जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या का अनुपात जिला पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या के बीच है। इन जनपद अध्यक्ष के कुल पदों में से आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जायेंगे। [धारा—25,32—(दो)]
- (14) ग्राम पंचायत, जनपद तथा जिला पंचायत के निर्वाचन का प्रकाशन होने के बाद, प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर इनकी पहली बैठक आयोजित की जावेगी। यह सम्मेलन विहित अधिकारी के आदेश द्वारा बुलाया जावेगा। [धारा—20 (1) 27(1) 34 (1)]

- (15) ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायतों के द्वारा किये जाने वाले कामों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है। प्रत्येक पंचायत उसे दिये गये कार्यों को करेगी। (धारा—49, 50, 52) ।
- पंचायतों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा के संबंध में कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके साथ—साथ भवनों के निर्माण पर नियंत्रण एवं अनुमति, सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को खत्म करने, मार्गों का नामकरण करने, भवनों पर क्रमांक डालने तथा बाजारों और मेलों का नियमन करने का अधिकार दिया गया है। (धारा 54 से 60)।
- (16) पंचायत के तीनों स्तरों पर पंचायत के काम में सहयोग करने के लिए ग्राम पंचायत के लिये ग्राम पंचायत सचिव तथा जनपद और जिला पंचायत के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। इन्हें वे कार्य करने होंगे जो नियम के अनुसार इन्हें सौंपे गये हैं। (धारा—69 एवं 72)
- (17) पंचायतों को स्वयं के वित्तीय स्रोतों को बढ़ाने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है। जिसका उल्लेख अधिनियम की धारा 77 के साथ पठित अनुसूची 1, 2 और 3 में है।
- (18) पंचायत की कार्यवाहियों का निरीक्षण करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। (धारा—84)
- (19) राज्य शासन समय—समय पर किसी भी अधिकारी को पंचायतों के जांच की जिम्मेदारी दे सकती है। (धारा—88)
- (20) पंचायत का प्रत्येक पंच, सदस्य, पदाधिकारी, अधिकारी या सेवक उनके कारण पंचायत को हुई किसी धन हानि, सम्पत्ति की हानि, गलत ढंग से किए गये खर्चे व राशि के दुरुपयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। (धारा—89)
- (21) ग्राम पंचायत सरपंच अथवा उपसरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विभिन्न प्रावधानों के तहत पद से हटाया जा सकता है। प्रावधानों का उल्लेख आगे किया गया है। (धारा—40)
- (22) पंचायत के नये चुने हुए सदस्यों का पहली बैठक की तारीख से पहले का कार्यभार ग्रहण करना माना जाएगा। पुराने सदस्य पंचायत के सभी दस्तावेज, वस्तु, धन या सम्पत्ति नये पंचायत प्रतिनिधियों को तत्काल सौंपेंगे। अगर वह नहीं सौंपता है तो विहित अधिकारी उसके/उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा। (धारा 92)
- (23) यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत, जनपद या जिला पंचायत में से एक से अधिक पद पर चुना जाता है तो वह नीचे लिखी प्राथमिकता—क्रम में किसी एक पद पर बना रह सकेगा। शेष पदों को उसे छोड़ना पड़ेगा। (धारा—41)

1. जिला पंचायत का सदस्य

2. जनपद पंचायत का सदस्य
3. ग्राम पंचायत का सरपंच
4. ग्राम पंचायत का पंच

एक से अधिक पद पर निर्वाचित व्यक्ति निर्वाचन से 15 दिन के भीतर एक पद पर बने रहने का अपना विकल्प देगा। यदि वह ऐसा विकल्प 15 दिन में नहीं देता है, तो वह ऊपर लिखे क्रम में किसी एक पद पर ही पदाधिकारी रह सकेगा।

अङ्ग्यास-१

1. ज्यादातर लोगों के लिये पंचायत का मतलब सरपंच होता है आपके अनुसार पंचायत क्या है अपने शब्दों में लिखें ?

.....
.....
.....
.....

2. आपके अनुसार ग्राम पंचायत क्यों आवश्यक है? यदि ग्राम पंचायत नहीं हो तो क्या फर्क पड़ेगा ?

.....
.....
.....
.....

3. ग्राम पंचायतों के कोई 5 कार्य बतायें ?

.....
.....
.....
.....

4. ग्राम पंचायत के पदों में अजा, अजजा एवं महिलाओं के लिये कितने प्रतिशत पद आरक्षित है ?

.....
.....
.....
.....

5. ग्राम पंचायत के पदों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिये क्या प्रावधान है और कितनी सीटें इस वर्ग के लिये आरक्षित होती है ?

.....
.....
.....
.....

6. यदि ग्राम पंचायत का कोई प्रतिनिधि या कर्मचारी पंचायत को प्राप्त राशि का दुरुपयोग करता है तो, क्या यह राशि उससे वसूली जा सकती है ? अगर हाँ तो बताएं कैसे और किसके द्वारा वसूली जावेगी ?

.....
.....
.....


7. क्या पंचायत के प्रतिनिधियों को पद से हटाया जा सकता है ? अगर हाँ तो कैसे और कौन हटा सकता है ?

.....
.....

त्रि-स्तरीय पंचायतों के कार्य

मध्यप्रदेश में पंचायत राज की स्थापना के लिए सरकार द्वारा 1993 में एक कानून बनाया गया, जिसे “मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993” कहा जाता है। इस अधिनियम में पंचायतों के गठन से लेकर उनकी कार्य प्रणाली और विभिन्न भूमिकाओं को स्पष्ट किया गया है।

इस अधिनियम के अनुसार गांवों में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है, वहीं ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। साथ ही अधिनियम में अलग-अलग स्तर की तीनों पंचायतों के कार्यों और भूमिकाओं को भी स्पष्ट किया गया है।



मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 49, 50 एवं 52 में त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है –

ग्राम पंचायत के कार्य

अधिनियम की धारा 49(क) के अनुसार ग्राम पंचायतों के कार्य इस प्रकार हैं –

- पंचायत द्वारा अपने पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक बजट एवं कार्य योजना तैयार करना।

एक अच्छा सरपंच

एक ग्राम पंचायत के सभी लोग पंचायत के कामों से नाखुश रहते थे और पक्षपात का आरोप लगाते थे। चुनाव हुये तो लोगों ने नये व्यक्ति को सरपंच चुना। नये सरपंच ने अपने अच्छे नेतृत्व से पंचायत की खराब छवि को दूर करने का प्रण लिया। इसके लिये उसने सभी ग्रामों में ग्राम सभा का आयोजन किया जिसमें सभी ग्राम सभा सदस्यों को आमंत्रित किया। ग्राम सभा में लोगों को अपने गांव में किये जाने वाले आवश्यक कामों को तय करने हेतु कहा और काम तय होने के बाद कौन सा काम पहले और कौन सा काम बाद में करेंगे यह भी लोगों के द्वारा तय करवाया। ठीक इसी प्रकार हितग्राही मूलक योजनाओं में किस योजना का लाभ किस परिवार को दिया जाये यह ग्राम सभा में तय करवाया जिसे तय करने का पूरा काम ग्राम सभा सदस्यों की समितियां बनाकर किया गया। सूची बनने के बाद उसका प्राथमिकीकरण किया गया कि किस परिवार को पहले लाभ दिया जाये और किस परिवार को बाद में। ये सब तय होने के बाद कार्ययोजना एवं सूची को गांव के बीच में बोर्ड लगाकर लिखवाया और उसी के अनुसार कामों को पूरा किया। पंचायत द्वारा किये जाने वाले कामों का हिसाब लगातार ग्राम सभा के सामने रखा और लोगों की आवश्यकता के अनुसार कार्य योजनाओं में बदलाव करते गया। यदि कार्य योजना को लागू करने में ऊपरी कार्यालयों से कोई दिक्कत होती तो इसके बारे में भी ग्राम सभा को बताता। कई बार ग्राम सभा के सदस्य भी ऊपर के अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिये सरपंच के साथ गये।

- लोगों के विकास के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा लागू एवं सौंपी गई योजनाओं का क्रियान्वयन करना।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र में कॉलोनियों की स्थापना के आवेदनों पर विचार करना।
- ग्राम पंचायत में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उन पर होने वाले व्यय पर नियंत्रण रखना। यह देखना कि शासकीय योजनाओं और व्यय का लाभ अधिक से अधिक जरूरमंद लोगों को मिल रहा है या नहीं। साथ ही यह सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग सभी लोग बराबरी एवं बगैर किसी भेदभाव से करें।
- ग्रामसभा द्वारा गठित की गई समितियों के कार्यों का समन्वय, मूल्यांकन और मॉनिटरिंग करना।
- ग्राम विकास समिति द्वारा बनाई गई विकास योजना जैसे – जीपीडीपी, आईपीपीई या इस प्रकार की अन्य योजनाओं को ग्राम सभा में पारित होने के बाद लागू करवाना।
- ग्राम विकास के लिए तैयार की गई कार्य योजना जनपद पंचायत में भेजना तथा जनपद पंचायत से समन्वय स्थापित करना।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र में सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना जैसे पानी, सड़क, स्ट्रीट लाईट आदि।

- ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध परिसम्पत्तियों का रख रखाव करना।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र में संचालित सार्वजनिक सेवाओं – आंगनवाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, राशन दुकान, राजस्व व कृषि सेवा आदि में सहयोग एवं निगरानी करना।
- सामाजिक कुप्रथाओं को रोकना तथा महिलाओं एवं वंचित वर्गों के साथ भेदभाव समाप्त करना।
- रोजगार एवं आजीविका के साधन उपलब्ध कराना।
- बाजार एवं मेलों की व्यवस्था करना तथा इनके लिये साफ–सफाई, शेड आदि की व्यवस्था करना।
- ग्राम सभा द्वारा लगाए गए करों की वसूली करना, स्वयं की आय के संसाधनों को बढ़ाना।

कुल्हाड़ी बन्दी से बनों का पुनर्जीवन

एक समय था जब राजापुर ग्राम पंचायत के प्रत्येक व्यक्ति के कान्धे पर कुल्हाड़ी रहती थी। पंचायत ने अपने पंचायत के नष्ट हो चुके वनों को पुनर्जीवित करने की ठानी। इसके लिये ग्राम पंचायत की बैठक में सभी सदस्यों के साथ मिलकर वनों को बचाने का संकल्प लिया गया और जन जागरूकता के लिये योजना बनाई गई। सरपंच एवं पंचों ने गांव–गांव में चौपाल लगाकर लोगों से कुल्हाड़ी बंदी करने का संकल्प दिलवाया और गांव–गांव में लोगों की समितियां बनाकर वनों की रखवाली करने लगे। समय–समय पर गांव में वनों के संरक्षण पर चौपाल लगाने लगी। धीरे–धीरे सभी लोगों को समझ में आया और हरे पौधे काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध लग गया। गांव के लोग बाहर के लोगों को भी वन काटने पर रोकने लगे। देखते ही देखते उस ग्राम पंचायत के सभी वनों में फिर से पौधे पनपने और बड़े होने लगे। अब इस पंचायत में चारों तरफ हरियाली है। पौधे ज्यादा होने से पुनः लोगों को सूखे पौधों से लकड़ी प्राप्त होने लगी।

ग्राम पंचायत के कार्य

मूलभूत नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करना	ग्राम पंचायत की सम्पत्ति की सुरक्षा	प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल और नियंत्रण	असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण	ग्राम पंचायत की विकास योजना बनाना	बाजार तथा मेलों का प्रबंधन करना	समन्वय, मूल्यांकन तथा मॉनिटरिंग करना	ग्राम सभा को धनराशि उपलब्ध करवाना
पानी, स्ट्रीट लाईट, सफाई, स्वच्छता, रास्ता, नाली	भवन, सड़क, हैण्डपंप, कुंए, तालाब, आदि	जंगल, नदी–नाले, झरना आदि	शराब, जुआं–सट्टा व महिलाओं पर हिंसा आदि	सभी की सहभागिता से विकास योजना बनाना	पशु मेला, साप्ताहिक हाट बाजार, –स्थल की सफाई, शेड निर्माण आदि	समितियों और ग्राम पंचायत की बैठक, सार्वजनिक सेवाओं की निगरानी	योजनाओं के लिये प्राप्त राशि का बेहतर उपयोग

जनपद पंचायत के कार्य

म0प्र0 पंचायत राज अधिनियम की धारा 50 में जनपद पंचायतों के कार्य दिए गए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं –

- जनपद पंचायत में शामिल ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों तथा जनपद पंचायत की आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की वार्षिक योजना पर विचार करना और उन्हें समेकित कर (मिलाकर) जिला पंचायत को प्रस्तुत करना।
- जनपद पंचायत निधि से किए जाने वाले कार्यों की योजना बनाना।
- पंचायत निधि से विकास योजनाओं को मंजूर करना, उनकी देखरेख व प्रबंधन करना।
- दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन करना।
- राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों का क्रियान्वयन करना।

जिला पंचायत के कार्य

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 52 और उसकी उपधाराओं में जिला पंचायत के कार्यों का उल्लेख किया गया है। उनमें से प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं –

- जिले की सभी जनपद पंचायत की कार्य योजनाओं की समीक्षा कर सम्पूर्ण जिले के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए कार्य योजना तैयार करना और क्रियान्वयन के लिए पंचायतों के साथ समन्वय करना।
- केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सौंपी गई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वार्षिक योजना तैयार करना।
- जनपद पंचायतों के कार्यों का समन्वय, मूल्यांकन एवं मॉनिटरिंग करना।
- जनपद पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं की देखरेख एवं समन्वय करना।
- ऐसी योजनाओं या कार्यों का क्रियान्वयन करना जो दो या दो से अधिक जनपद पंचायतों से संबंधित है।
- पंचायतों में नियुक्त किए गए कर्मचारियों पर नियंत्रण करना और आवश्यकतानुसार स्थानांतरण करना।

अनुसूचित क्षेत्रों में जनपद एवं जिला पंचायतों को निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी—

- लघु जलाशयों की योजना बनाना, उस पर स्वामित्व तथा प्रबंधन करना।
- समस्त सामाजिक सेक्टरों में आने वाली संस्थाओं तथा उनके कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना।

ग्राम पंचायतों के काम-काज के तरीके

ग्राम पंचायत में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के रूप में सरपंच एवं पंच शामिल हैं। अतः ग्राम पंचायत के काम-काज से संबंधित सभी निर्णय ग्राम पंचायत के पंच एवं सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक में लिए जाने का प्रावधान है। इसलिये ग्राम पंचायत की बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अनुसार हर ग्राम पंचायत की माह में कम से कम एक बार बैठक होना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत के बैठक की प्रक्रिया

अधिनियम की धारा 44(1) के अन्तर्गत पंचायत की बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया

1. बैठक की तारीख, समय तथा स्थान सरपंच द्वारा तय किये जाएंगे।
2. सचिव द्वारा प्रत्येक बैठक की सूचना, बैठक के 7 दिन पहले सभी सदस्यों को दी जायेगी। सूचना में बैठक की तारीख, समय, स्थान तथा बैठक में चर्चा के बिंदु (एजेण्डा) की जानकारी होगी और यह सूचना पंचायत के कार्यालय पर भी प्रदर्शित की जाएगी।
3. यदि सरपंच किसी कारणवश बैठक नहीं बुलाते हैं तो पंचायत सचिव की यह जिम्मेदारी है कि वह पिछली बैठक के 25 दिनों बाद ग्राम पंचायत की बैठक के लिए सूचना जारी करे – धारा 44(4)।



अच्छा सरपंच

एक ग्राम पंचायत में पंचों की हमेशा शिकायत रहती थी कि हमें पंचायत के कामकाज की कोई जानकारी नहीं मिलती है। नये सरपंच ने पंचायत की इस छवि को दूर करने की ठानी। इसके लिये पंचायत की बैठकों के पूर्व सभी पंचों को बैठक में चर्चा के बिंदु के साथ बैठक संबंधी आमंत्रण लिखित में भेजना प्रारंभ किया और साथ ही सभी पंचों को फोन द्वारा स्वयं सूचित करना प्रारंभ किया। बैठक में पूर्व से तय एजेण्डे के एक-एक बिंदु पर चर्चा कर सभी की सहमति बनाकर निर्णय लिये गये, पंचों द्वारा उठाये गये सभी प्रश्नों पर पंचायत के सरपंच/सचिव द्वारा जबाव दिये गये और उन्हें कार्यवाही में दर्ज किया गया। बैठक समाप्त होने पर कार्यवाही का विवरण पढ़कर सुनाया जाने लगा। इस तरह नए सरपंच ने पंचों की शिकायतों को दूर कर अपनी तथा पंचायत की अच्छी छवि बनाने का कार्य किया।

4. प्रत्येक बैठक में सरपंच या उसकी गैर हाजिरी में उप सरपंच अध्यक्षता करेंगे। इन दोनों की गैर हाजिरी में सम्मेलन में उपस्थित पंचों द्वारा चुना गया पंच अध्यक्षता करेगा।
5. यदि कोई सरपंच तीन बार ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित कराने में असफल रहता है तो उसे धारा 40 के अधीन पद से हटाया जा सकता है – धारा 40(7)।
6. यदि अध्यक्ष यह समझते हैं कि जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसमें किसी सदस्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आर्थिक हित हो सकता है तो अध्यक्ष उस सदस्य को मतदान करने या चर्चा में भाग लेने से रोक सकता है।
7. जिस सदस्य को रोका गया है वह अध्यक्ष के इस फैसले पर आपत्ति कर सकता है। ऐसी स्थिति में सभापति इस बात को बैठक में रखेंगे तथा बैठक में लिया गया फैसला अंतिम होगा।

बैठक का क्रेम

ग्राम पंचायत की बैठक में कुल पंचों के आधे (पचास प्रतिशत) पंचों का उपस्थित होना जरूरी है। यदि आधे पंच नहीं आते हैं तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी और बैठक की अगली तारीख तथा समय तय करके उसकी सूचना ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चिपका दी जाएगी। यह बैठक जब भी दुबारा होगी, उसमें कोरम पूरा होना जरूरी है। किन्तु इस बैठक में उन्हीं मुद्दों पर फैसला होगा जो स्थगित की गई बैठक में तय थे, यानी स्थगित बैठक दोबारा करने पर उसमें कोई नये मुद्दे या विषय नहीं जोड़े जाएंगे – धारा 44(3)।

ग्राम पंचायत की बैठक को सफल तभी माना जा सकता है, जब उसमें सभी पंच उपस्थित हो। इसलिए कोरम का नियम बनाया गया है, जिससे की निर्णय में सबकी समान भूमिका हो।

बैठक में फैसला - धारा 44(2)

ग्राम पंचायत की बैठक में सभी सदस्य मिलकर फैसला लेंगे। हो सकता है कि कुछ विषयों में सदस्यों के अलग–अलग मत हों जिसे एकमत कर सभी की सहमति से फैसले लेने के प्रयास किये जायेंगे। अगर किसी मुद्दे पर सभी सदस्य एकमत नहीं होते हैं तो बहुमत के आधार पर फैसले लिये जायेंगे।



बहुमत से फैसला लेते समय यदि दोनों पक्षों के मत बराबर हों तो अध्यक्ष के मत से फैसला लिया जावेगा।

ग्राम पंचायत के फैसलों पर पुनर्विचार - धारा ४७

ग्राम पंचायत द्वारा लिए गए किसी भी फैसले पर छः माह से पहले पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। किन्तु यदि तीन चौथाई पंच किसी फैसले के बारे में लिखित में पुनर्विचार करने की मांग करें तो इससे पहले भी उस पर पुनर्विचार के लिए पंचायत बैठक में रखी जा सकती है।

विशेष बैठक कब होनी और इसकी प्रक्रिया क्या होनी ?

यदि ग्राम पंचायत के आधे से ज्यादा पंच लिखकर मांग करते हैं तो सरपंच को मांग प्राप्त होने के सात दिन के भीतर विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी। पचास प्रतिशत से अधिक पंचों द्वारा लिखित मांग के बावजूद यदि सरपंच सात दिन के भीतर विशेष बैठक नहीं बुलाते हैं तो पंचों को स्वयं ही बैठक बुलाने का अधिकार होगा, जिसकी सूचना वे जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को देंगे – धारा 44(6)।

पंचों की भागीदारी क्यों जरूरी है?

जब हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो उसका मतलब ग्राम पंचायत के सभी पंच एवं सरपंच शामिल होते हैं। पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड से पंच चुने जाते हैं। नियम के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक में सभी पंच मिलकर फैसला लेते हैं। ग्राम पंचायत पर किसी एक व्यक्ति या पद का एकाधिकार नहीं है इसलिए गांव के विकास और फैसलों में पंचों को सक्रिय भूमिका निभाना जरूरी है। पंच का यह कर्तव्य है कि वह अपने वार्ड के लोगों से लगातार चर्चा कर समस्याओं एवं जरूरतों को पहचानें तथा समस्याओं के समाधान हेतु उसे ग्राम पंचायत की बैठक में रखें एवं चर्चा करें। इसके साथ ही ग्राम पंचायत के सभी मुददों पर पंचों को अपनी बात रखना जरूरी है। बैठक में लिए गए फैसलों को लागू कराने एवं उनकी निगरानी करने के लिए भी पंचों की भागीदारी जरूरी है। पंचों की भागीदारी से ही पंचायत लोकतांत्रिक रूप से चल सकती है। अगर किसी वार्ड का पंच पंचायत की बैठकों में भागीदारी नहीं करता है इसका मतलब साफ है कि उस वार्ड के लोगों की समस्याओं पर न तो कोई चर्चा हो रही और न ही उनकी समस्याओं के समाधान की अपेक्षा की जा सकती है।

सक्रिय पंच

एक पंचायत का एक वार्ड बहुत पिछड़ा था वह पंचायत की बसाहट से दूर बसा हुआ था, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, स्कूल आदि से संबंधित कई समस्यायें थी। इन समस्याओं का प्रमुख कारण था उस वार्ड के पंच का पंचायत की बैठकों में न जाना एवं वार्ड के विकास पर ध्यान नहीं देना था। इस वार्ड के लोगों ने अगले चुनाव में नए व्यक्ति को पंच के लिये चुना। नया पंच पंचायत की प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहते और अपने वार्ड में सड़क, बिजली, पानी एवं स्कूल की समस्याओं को बैठक में रखते। अंततः ये बात पंचायत को समझ में आयी तथा संबंधित विभागों तक भी इसकी सूचना पहुँची। कुछ ही समय में वार्ड की समस्याओं पर काम प्रारंभ हुआ और पंच के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही वार्ड की सभी समस्याएं खत्म हो गईं। पुनः चुनाव हुआ तो वार्ड के लोगों ने निर्विरोध इसी पंच को अपने वार्ड

ग्राम पंचायत की बैठक में लोकतंत्र और समानता के आधार पर बातचीत हो तथा फैसले लिये जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए पंचों को अधिकार दिए गए हैं। पंचों का एक बड़ा अधिकार है कि उन्हें बैठक के सात दिन पूर्व बैठक में चर्चा के विषय एवं किये जाने वाले कामकाज की जानकारी दी जाती है ताकि वह पूरी तैयारी के साथ बैठक में अपनी बातों को रख सके।

सरपंच, उपसरपंच, पंच तथा सचिव के उत्तरदायित्व एवं कार्य

ग्राम पंचायत के कार्य किसी एक व्यक्ति या पद पर केन्द्रित नहीं है बल्कि सामूहिकता के आधार पर किए जाते हैं। इसलिए पंचायत अधिनियम में हर पदाधिकारी के कार्यों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है ताकि सभी की जवाबदारी भी तय हो सकें। यहां पंच, सरपंच, उपसरपंच एवं सचिव के कार्यों एवं जिम्मेदारियां दी गई हैं –

सरपंच की जिम्मेदारियां और अधिकार

- ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना।
- ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं की बैठक की अध्यक्षता करना।
- बैठक में किये गये फैसलों को लागू करना।
- जनपद पंचायत, जिला पंचायत और सरकारी कार्यालयों से तालमेल रखना और उनके द्वारा बताये गये काम करना।
- गांव के विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाना।
- यह देखना कि जिस काम के लिये पैसा या बजट आया है उसी पर खर्च हो तथा नियम कायदे और किफायत से खर्च किया जाये।
- पंचायत की आमदनी और खर्च का ठीक से हिसाब—किताब (लेखा—जोखा) रखना।
- इस बात का ध्यान रखना कि ग्राम सभा और पंचायत की बैठक में सभी सदस्य अपनी बात रखें खासकर महिलायें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य और गरीब लोग जरूर अपनी बात कर सकें।
- सभी बच्चे, खासकर लड़कियां स्कूल जा सकें।
- पंचायत के कामों से संबंधित सभी लिखा—पढ़ी आदि के काम ग्राम पंचायत के सचिव से करवाना।
- किसी भी दस्तावेज या कागजात पर दस्तखत करने से पहले कागज पर लिखे विषय को अच्छी तरह समझना।
- पंचायत सचिव के काम की देखरेख करना।

उपसरपंच की जिम्मेदारियां एवं अधिकार

- उप सरपंच वार्ड का मेम्बर होने के साथ—साथ ग्राम पंचायत का उपसरपंच भी होता है।
- सरपंच की गैर हाजिरी में सरपंच की जिम्मेदारियों को निभाना।
- ग्राम पंचायत के काम में सरपंच को सहयोग करना और जरूरी सलाह भी देना।
- यदि सरपंच अपने पद से त्यागपत्र दे या उसे पद से हटा दिया जाये तो ऐसी स्थिति में जब तक सरपंच का पद भरा नहीं जाता तब तक सरपंच का काम चलाने की जिम्मेदारी निभाना।

- धारा—48 के द्वारा दी गई शक्तियों और कामों का पालन किया जाना।

पंच की जिम्मेदारियां एवं अधिकार

- ग्राम पंचायत की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेना।
- ग्राम पंचायत में चल रही विकास योजनाओं, निर्माण कार्यों और कार्यक्रमों की जानकारी रखना।
- ग्राम पंचायत के बजट की जानकारी प्राप्त करना।
- ग्राम पंचायत की बैठक में कार्यसूची (एजेण्डा) के किसी भी विषय पर जानकारी लेना और सुझाव देना।
- यदि किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये ग्राम पंचायत में मतदान की जरूरत होती है तो अपना निष्पक्ष मत देना।
- जिस वार्ड का वह प्रतिनिधि है उसके विकास के लिये प्रयास करना।
- अपने वार्ड की जरूरतों को ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना में शामिल करवाना।
- सरकारी कर्मचारियों से जरूरी सहयोग लेना और उन्हें सहयोग देना।
- ग्राम पंचायत की बैठक के लिये (ऐजेण्डा) कार्य सूची में शामिल करने के लिये ग्राम पंचायत के सरपंच या सचिव को प्रस्ताव भेजना।
- उपसरपंच के चुनाव में मत देना।
- ग्राम पंचायत के सरपंच या उपसरपंच की गैर हाजिरी में ग्राम पंचायत की बैठक के लिये अध्यक्ष को चुनना।
- सरपंच और उपसरपंच को उनके काम में सहयोग करना।
- ग्राम पंचायत की गतिविधियों पर नजर रखना और यदि कहीं पर कोई भी अनियमितता हो रही हो तो उसे ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव की जानकारी में लाना तथा पंचायत की बैठकों में ऐसे विषयों को उठाना।
- समाज कल्याण एवं आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं की जानकारी के प्रचार—प्रसार में सहयोगी होकर अधिक से अधिक व्यक्तियों / परिवारों तक इस जानकारी को पहुंचाना।
- अपने वार्ड के लोगों को ग्राम सभा में भागीदारी के लिये प्रेरित करना।

पंचायत सचिव एवं जेआरएस की जिम्मेदारियां और अधिकार

पंचायत के कार्यों का प्रबंधन

- सरपंच की सहमति से ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की बैठक की कार्यसूची (एजेण्डा) तैयार करना एवं नियमानुसार बैठक बुलाना।
- सरपंच की सलाह से पंचायत के कार्यालय का समय तय करना और तय समय में कार्यालय में उपस्थित रहना।
- ग्राम पंचायत की बैठकों की सूचना निर्धारित समय पर सभी सदस्यों को देना तथा बैठक में शामिल सदस्यों की उपस्थिति दर्ज करना।
- पंचायत एवं ग्राम सभा बैठकों में हुई चर्चा एवं लिये गये निर्णयों को कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज करना।

- पंचायत एवं ग्राम सभा द्वारा लिये गये निर्णयों पर आवश्यक कार्यवाही करना।
- जिला तथा जनपद पंचायत एवं अन्य शासकीय कार्यालयों से आये पत्रों, निर्देशों को सरपंच के सामने जरूरी कार्यवाही के लिए पेश करना तथा सरपंच की अनुमति से ग्राम पंचायत की बैठक में पेश करना।
- अचल संपत्ति भवन, तालाब, बगीचे, बाजार, मेले का रिकार्ड रखना एवं इनके रखरखाव पर ध्यान देना।
- ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा द्वारा लगाये गये कर और फीस की वसूली करना।

दस्तावेजीकरण

- ग्राम पंचायत कार्यालय में विषयवार दस्तावेजों का रख—रखाव करना और पंचायत कार्यालय को व्यवस्थित रखना, पंचायत के पुराने रिकार्डों को पंजीबद्ध कर सुरक्षित रखना।
- प्रत्येक समिति की कार्यवाही का विवरण रखना और उसे पंचायत की बैठकों में पेश करना।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र की आधारभूत जानकारियां रखना, जैसे –
 - पंचायत की अचल संपत्ति
 - पंचायत के अधीन संस्थायें जैसे – कांजी हाउस, सहकारी समिति, अस्पताल, स्कूल, प्रौढ़ शिक्षा, आंगनबाड़ी, पटवारी कार्यालय
 - ग्राम पंचायत में निवासरत परिवारों की जातिवार संख्या, जनसंख्या
 - ग्राम पंचायत में साक्षर—निरक्षरों की संख्या
 - दिव्यांग, निराश्रितों, विधवाओं की सूची और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची
 - पंचायत क्षेत्र में एकीकृत ग्राम विकास योजना, निर्माण कार्यों की सूची, उन पर होने वाले व्यय आदि का विवरण
 - जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन
 - पंचायत एवं समाज कल्याण योजनाओं की जानकारी रखना तथा प्रचार—प्रसार करना

योजनाओं का क्रियान्वन


- सरपंच एवं ग्राम पंचायत सदस्यों को, पंचायत अधिनियम एवं नियमों के आधार पर सही सलाह देना। यदि कोई कार्य या प्रस्ताव पंचायत अधिनियम के विपरीत हो रहा हो तो उस पर सरपंच एवं पंचों का ध्यान आकर्षित कराना।
- ग्राम पंचायत की वार्षिक रिपोर्ट, प्रत्येक वर्ष, निश्चित दिनांक तक तैयार कर ग्राम पंचायत में रखना और उस पर आगे कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- पंचायत की अचल सम्पत्ति व सार्वजनिक स्थलों की निगरानी रखना व इन पर अतिक्रमण को रोकने और हटाने के लिए सरपंच को सलाह देना।
- पंचायत क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों, स्कूलों, शासकीय उचित मूल्य की दुकान एवं अन्य शासकीय विभागों के कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग करना।

समन्वय

- ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव की सत्यप्रति सरपंच के हस्ताक्षर से संबंधित विभागीय अधिकारियों को भेजना तथा उस पर क्रियान्वयन के लिए कार्यवाही करना।

- सरपंच, उप सरपंच या पंच के पद से हटाये जाने अथवा निलम्बन की सूचना, जनपद, जिला पंचायत तथा उप संचालक पंचायत को भेजना।
- पंचायत सचिव ग्राम सभा का सचिव भी है, इसलिए वे सभी कार्य जो वह ग्राम पंचायत के लिये करता है ग्राम सभा के लिये भी उन जिम्मेदारियों को निभाना। खासकर ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें एक से ज्यादा ग्राम सभायें शामिल हैं वहां सभी ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायत के बीच तालमेल रखना।
- पंच पद में होने वाली किसी आकस्मिक रिविट की सूचना वरिष्ठ कार्यालय को भेजना।

पंचायत सचिव के कार्यों को नीचे दिये गए चित्र के माध्यम से भी समझा जा सकता है।



सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें नियम में संशोधन (आदेश क्रमांक.: क्र. –5–1–2017–बाईस–पी–1)

दिनांक 1 मई 2017 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 2011 में संशोधन किया गया है। जिसमें सेवा शर्तों संबंधी उल्लेखों के साथ जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सचिवों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये सक्षम अधिकारी बनाया गया है। संबंधित सचिव, दण्ड आरोपित किये जाने के आदेश की दिनांक से, 15 दिवस के भीतर आयुक्त पंचायत मध्यप्रदेश के समक्ष अपील प्रस्त॑त कर सकता है।

आश्वास -२

1. सरपंच की 4 प्रमुख जिम्मेदारियां बताइये ?

.....
.....

2. यदि किसी कारण वश सरपंच का पद रिक्त हो जाए तो नया सरपंच नियुक्त किये जाने तक पंचायत के कामकाज की जिम्मेदारी किसकी है ?

.....
.....

3. ग्राम पंचायत सचिव के 4 मुख्य काम बताइये ?

.....
.....

4. ग्राम पंचायत के पंच की 4 प्रमुख जिम्मेवारियां बताइये ?

.....
.....

तृतीय सत्र

00.45

पंचायत प्रतिनिधियों को कब पद से हटाया जा सकता है

संसद और विधानसभा की तरह ही पंचायत प्रतिनिधि जनता द्वारा पांच सालों के लिए चुने जाते हैं। यदि एक सरपंच या उपसरपंच पांच साल तक अपने पद पर बना रहे और वह पंचायत के नियम कायदों का पालन न करे, ग्राम सभा के सुझावों व फैसलों की अनदेखी करे तो, ऐसी स्थिति में सरपंच और उपसरपंच को पद से हटाने के नियमों का उल्लेख कानून में किया गया है।

पंचायत राज अधिनियम में पंचायत प्रतिनिधियों को पद से हटाने जाने संबंधी विभिन्न धारा :

1. अविश्वास प्रस्ताव (धारा 21)
2. ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाना (धारा 21-क)
3. धारा 36(2) के तहत हटाना
4. पंचायत प्रतिनिधि द्वारा त्याग पत्र (धारा 37)

5. पंचायत प्रतिनिधि का निलम्बन (धारा 39)
6. पंचायत प्रतिनिधि का हटाया जाना (धारा 40)
7. धारा 89 के अंतर्गत दुरप्रयोजन के लिए पंचों को हटाना।
8. धारा 98 के अंतर्गत अयोग्य हो जाने पर पंच, सदस्य, सरपंच, उपसरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की हैसियत में कार्य करने के लिए दण्ड दिया जाना।

पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव (धारा २१)

यदि ग्राम पंचायत के पंचों को ऐसा लगता है कि उनकी पंचायत का सरपंच या उप सरपंच ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या ग्राम पंचायत के हितों की अनदेखी कर रहे हैं तो उस ग्राम पंचायत के पंच मिलकर एक अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरपंच तथा उप सरपंच को हटा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जनपद एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का तरीका इस प्रकार है—

- पंचायत के एक तिहाई पंच अविश्वास प्रस्ताव के सूचना पत्र पर हस्ताक्षर कर विहित अधिकारी (एस.डी.ओ.) को देंगे।
- यदि सरपंच और उप सरपंच दोनों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो अलग—अलग सूचना पत्र देने होंगे।
- विहित अधिकारी अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने पर पावती देगा।
- विहित अधिकारी अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर प्रस्ताव पर चर्चा हेतु बैठक बुलाएगा। वह बैठक की तारीख, समय और स्थान तय करेगा तथा पंचायत सचिव के माध्यम से सभी पंचों को बैठक के सात दिन पहले सूचना देगा।
- विहित अधिकारी (एस.डी.ओ.) सरपंच या उपसरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक की अध्यक्षता करने के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में नायब तहसीलदार या समकक्ष किसी अधिकारी की नियुक्ति करेगा।
- अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक के दिन पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित पंचायत के सदस्यों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी।
- अविश्वास प्रस्ताव की सूचना पर हस्ताक्षर करने वाले पंचों में से कोई एक पंच अविश्वास प्रस्ताव रखेगा। जिस पंचायत प्रतिनिधि के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसे भी बैठक में अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा।
- अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में सभी पंच अपने—अपने विचार रख सकते हैं।
- प्रस्ताव पर मतदान के लिए विहित अधिकारी उपस्थित पंचों को अपने हस्ताक्षरित मतपत्र देगा। मतदान करने वाले सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में और विरोध में विहित अधिकारी द्वारा तय चिन्ह मतपत्र पर लगाकर, मतपत्र को मोड़कर पीठासीन अधिकारी द्वारा रखी गई मतपेटी में डालेंगे।
- मतदान हो जाने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी मतपत्रों की गणना करेगा। यदि बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों में से कम से कम तीन चौथाई सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हैं

तो अविश्वास प्रस्ताव पारित माना जाएगा। किन्तु यह तीन चौथाई संख्या पंचायत के कुल पंचों की दो तिहाई संख्या से अधिक होनी चाहिये।

- यदि बैठक में उपस्थित कम से कम तीन चौथाई पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है परन्तु उनकी संख्या पंचायत के कुल सदस्यों के दो तिहाई से कम है तो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा।

नीचे तालिका में अविश्वास प्रस्ताव के कुछ उदाहरण दिये गए हैं जिनसे हम और अच्छे से समझ सकते हैं :—

अविश्वास प्रस्ताव में उपस्थित सदस्य	अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान	उपस्थित सदस्यों का तीन—चौथाई	अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान (उपस्थित का तीन—चौथाई) पूर्ण संख्या में	ग्राम पंचायत में कुल सदस्य	कुल सदस्यों का दो—तिहाई	कुल सदस्यों का दो—तिहाई पूर्ण संख्या में	अविश्वास प्रस्ताव पारित अथवा नहीं	कारण
15	13	11.3	12	20	13.3	14	नहीं	पक्ष में 13 मत पड़े जो कि उपस्थित सदस्यों के तीन—चौथाई 12 से अधिक है लेकिन पंचायत के कुल सदस्यों के दो—तिहाई 14 से कम है
18	15	13.5	14	20	13.3	14	हाँ	पक्ष में 15 मत पड़े जो कि उपस्थित सदस्यों के तीन—चौथाई अर्थात् 14 से कम नहीं है एवं पंचायत के कुल सदस्यों के दो—तिहाई अर्थात् 14 से अधिक है
16	14	12.0	12	20	13.3	14	नहीं	पक्ष में 14 मत पड़े जो कि उपस्थित सदस्यों के तीन—चौथाई अर्थात् 12 से कम नहीं है लेकिन पंचायत के कुल सदस्यों के दो—तिहाई अर्थात् 14 से अधिक नहीं है

अविश्वास प्रस्ताव कब नहीं लाया जा सकता ?

सरपंच तथा उपसरपंच के खिलाफ हमेशा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। पंचायत राज अधिनियम की धारा 21(3) के अनुसार —

- जिस दिन से कोई व्यक्ति सरपंच व उपसरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पद पर काम करना शुरू करेगा, उसके 1 साल तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।
- यदि सरपंच, उपसरपंच या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने में सिर्फ़ छः महीने बचे हैं तो भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।
- अगर पंचायत में किसी पदाधिकारी के खिलाफ एक बार अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ हो और उसे पेश हुए एक साल का समय नहीं बीता हो तो उस पदाधिकारी के खिलाफ एक वर्ष के अंदर दुबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यानी अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के एक साल के बाद ही दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।

- यदि सरपंच या उपसरपंच को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कानूनी ढंग से नहीं लाया गया है या कानूनी ढंग से मतदान नहीं हुआ है तो वह प्रस्ताव पास होने के सात दिन के भीतर कलेक्टर के यहां अपील कर सकता है। अपील कराने की तारीख के 30 दिनों के भीतर कलेक्टर अपना फैसला सुनाएंगे। कलेक्टर का फैसला अंतिम होगा।
- अविश्वास प्रस्ताव से हटाए गए सरपंच व उपसरपंच को खाली हुये पद पर छः माह के भीतर होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवारी करने का अधिकार है।

ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाना (धारा-२१क)

ग्राम सभा के सदस्य सरपंच और पंचों का चुनाव करते हैं। अपने सरपंच या पंच के कामकाज से असंतुष्ट होने पर ग्राम सभा सदस्यों को, इन्हें वापस बुलाने का कानूनी अधिकार मिला है। यह अधिकार पूरी दुनिया के लोकतंत्रों में शायद ही कहीं हो। यदि पंचायत के पदाधिकारी ग्राम सभा के निर्देशों को नहीं मान रहे हैं या अपनी मनमानी कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ग्राम सभा को सरपंच तथा पंचों को वापस बुलाने, यानी पद से हटाने का कानूनी अधिकार दिया गया है (धारा 21-क)। सरपंच या पंच को वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए यह जरूरी है कि –

- ग्राम पंचायत के भीतर ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई सदस्यों को ऐसे मांग पत्र पर दस्तखत कर विहित अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी / एस.डी.ओ.) को देना होगा।
- उपखण्ड अधिकारी ग्राम सभा को मतदान की तिथि बताएगा और गुप्त मतदान की व्यवस्था की जाएगी।

वापस बुलाने की प्रक्रिया

- पंचायत के आम निर्वाचन (जब पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं) से चुनकर आया सरपंच या पंच अपने कार्यकाल के कम से कम ढाई वर्ष पूरे कर लेगा तभी उसके खिलाफ यह प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

- जो सरपंच या पंच उप चुनाव में चुनकर आया है, उसके कुल कार्यकाल में से आधे कार्यकाल के खत्म होने के बाद ही उसे वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।
- यदि पंचायत के भीतर ग्राम सभा का गठन करने वाले आधे से अधिक मतदाता सरपंच को वापस बुलाने के पक्ष में मत देते हैं तो सरपंच का पद तुरन्त खाली हो जायेगा।
- ठीक इसी प्रकार ग्राम पंचायत के किसी भी पंच द्वारा अपना पद तत्काल रिक्त कर दिया जायेगा यदि ऐसे वार्ड का गठन करने वाले ग्राम सभा सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा पंच को वापस बुलाने के पक्ष में मतदान किया गया है।
- यदि सरपंच या पंच को ऐसा लगता है कि ग्राम सभा द्वारा उसे हटाने की प्रक्रिया में कानून का पालन नहीं हुआ है, तो वह मतदान के सात दिन के भीतर कलेक्टर को अपील करेगा और कलेक्टर 30 दिन के भीतर अपना फैसला सुनाएगा। कलेक्टर का फैसला अंतिम होगा।

पंचायत के काम में आग न लेने पर सदस्यता समाप्त होना (धारा 36)

धारा 36 के अंतर्गत पद से हटाने की कार्यवाही निम्न दशाओं में हो सकती है –

- पंचायत की लगातार तीन बैठकों में न आने पर या छः माह की अवधि हुई बैठकों में से आधी बैठकों में शामिल न होने पर।
- पंचायत की स्थाई समितियों की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

परन्तु, यदि किसी पदाधिकारी ने अनुपस्थित रहने के लिए पंचायत को आवेदन किया है और आवेदन प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर पंचायत उसके अनुस्थित रहने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं करती है तो यह समझा जाएगा कि पंचायत ने उसे अनुपस्थित रहने की इजाजत दी है।

उसे पद से हटाने का आदेश कलेक्टर ही देंगे। किन्तु वे उसे तब तक पद से नहीं हटा सकते, जब तक कि उसे अपनी बात कहने (अपना पक्ष रखने) का अवसर नहीं दिया गया हो। धारा-36(3)।

इस मामले में पंचायत या कोई अन्य व्यक्ति एस.डी.एम./ कलेक्टर को आवेदन देंगे। कलेक्टर इस आवेदन के आधार पर उसकी जांच करवाएंगे और संबंधित पंचायत प्रतिनिधि को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद यदि शिकायत सही पायी जाती है तो पंचायत प्रतिनिधि को हटाने का आदेश देंगे।

यदि पंचायत प्रतिनिधि को इस आदेश से आपत्ति है तो वह 30 दिनों के भीतर संभागीय आयुक्त को अपील कर सकता है।

पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा त्याग पत्र (धारा-37)

पंचायत का कोई भी पदाधिकारी यदि अपने पद से स्वयं हटना चाहे तो ऐसी स्थिति में अपना त्यागपत्र लिखित रूप में देकर अपना पद छोड़ सकता है। (धारा-37)

- ग्राम पंचायत का कोई भी पंच अपना लिखित त्यागपत्र सरपंच को, जनपद और जिला पंचायत के सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकते हैं। त्यागपत्र की एक प्रतिलिपि पंचायत के सचिव/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी देना चाहिए।

- सरपंच तथा उपसरपंच अपना त्यागपत्र उप संचालक, जिला पंचायत को देकर अपना पद छोड़ सकते हैं।
- जनपद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को देकर अपना पद छोड़ सकते हैं।
- जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त को देकर अपना पद छोड़ सकते हैं।

पंचायत पदधारी द्वारा दिया गया त्यागपत्र 30 दिन में स्वीकार होगा। इन 30 दिनों में यह जांचा जाएगा कि यह त्यागपत्र असली है या नहीं। यदि विहित अधिकारी सूचना प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर त्यागपत्र स्वीकार नहीं करता है तो त्यागपत्र स्वतः ही सूचना की तारीख से 30 दिनों के बाद प्रभावशील हो जायेगा। विहित अधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकृत करने की सूचना संबंधित पंचायत, उप संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण तथा कलेक्टर को दी जायेगी। त्यागपत्र देने के बाद यदि त्यागपत्र देने वाले पंच या सरपंच को ऐसा लगे कि वे अभी और काम करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में त्यागपत्र स्वीकार होने से पहले उसे वापस ले सकते हैं। इसके लिए त्यागपत्र वापस लेने के लिए संबंधित विहित अधिकारी को पत्र लिखना होगा।

पंचायत पदाधिकारी का निलम्बन (धारा-38)

यदि पंचायत के सरपंच, उपसरपंच, पंच या जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य सदस्य देश के किसी कानून के उल्लंघन के दोषी हैं और उनके खिलाफ किसी अदालत में मुकदमा चल रहा है तो ऐसी दशा में विहित अधिकारी उस पदाधिकारी को उसके पद से निलम्बित कर देंगे।

जिन अपराधों के लिए निलम्बित किया जा सकता है, उनमें प्रमुख हैं—

- भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत आने वाली धाराओं से संबंधित अपराध।
- खाने के सामान व दवाओं में मिलावट का आरोप।
- महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में अनैतिक व्यवहार के आरोप में चल रहा कोई मुकदमा।
- किसी भी ऐसे कानून के तहत जिसमें दण्ड की व्यवस्था हो, मुकदमा चलने की स्थिति में विहित अधिकारी (एस.डी.एम.) उसे निलम्बित कर इस निलम्बन की रिपोर्ट 10 दिनों में राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी (कलेक्टर) को भेजेगा।
- कलेक्टर को निलम्बन की सूचना प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर इसकी पुष्टि करनी होगी अन्यथा यह निलम्बन अपने आप प्रभावहीन हो जाएगा।

पंचायत के पदाधिकारियों का हटाया जाना (धारा -४०)

पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत राज्य सरकार या विहित अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधियों को पद से हटा सकते हैं। किन्तु इसके लिए समुचित कारण होना तथा उन कारणों की पूरी जांच करवाना अनिवार्य है। निम्नलिखित स्थितियों में पंचायत प्रतिनिधियों को पद से हटाया जा सकता है –

1. वह ऐसा कोई कार्य करता हो जिससे भारत की एकता और अखंडता पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो।
2. लोगों के साथ धर्म, भाषा, क्षेत्र और जाति पर आधारित भेदभाव करता हो।
3. स्त्रियों के सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाले कार्य करता हो।
4. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में दिए गए कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही करता हो।
5. पंचायत के धन व योजनाओं का स्वयं लाभ लेता हो अथवा रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने पद का इस्तेमाल करता हो।
(सरपंच द्वारा पंचायत की किसी भी योजना में अपने रिश्तेदारों को हितग्राही नहीं बनाया जा सकता। इस कानून के मुताबिक इन रिश्तों को रिश्तेदार माना गया है – पिता, माता, बहिन, भाई, पति, पत्नी, पुत्र, ससुर, सास, साला, बहनोई, देवर, साली, भाभी, ननद, देवरानी, जेठानी, दामाद, पुत्रवधु –धारा 69(2)।
6. पंचायत को हुई आर्थिक हानि या धन का दुरुपयोग या कदाचार भ्रष्टाचार (बहुत अधिक) किया गया हो।

धारा ४० के अंतर्गत होने वाली कार्रवाई की प्रक्रिया

- उक्त दशा में किसी भी व्यक्ति द्वारा पंचायत प्रतिनिधि के खिलाफ एस.डी.ओ. को शिकायत करने पर एस.डी.ओ. द्वारा पंचायत प्रतिनिधि को धारा 40 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। पंचायत राज कानून में यह स्पष्ट लिखा है कि “किसी भी पंचायत प्रतिनिधि को तब तक पद से नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे कारण बताने का नोटिस नहीं दिया गया हो” धारा 40(1)।
- कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद संबंधित पंचायत पदाधिकारी को दी गई अवधि में अपना पक्ष लिखित में भेजना होगा।
- संबंधित पंचायत पदाधिकारी से प्राप्त जवाब का अध्ययन करने के बाद एस.डी.एम. अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी या कर्मचारी को जांच के लिए भेजेगा। वह अधिकारी सभी पक्षों (शिकायतकर्ता एवं संबंधित पंचायत प्रतिनिधि व अन्य) से बात कर उनके बयान लिखेगा।

- कारण बताने का नोटिस जारी करने के 90 दिनों के अंदर एस.डी.ओ. को मामले में अपना निर्णय देना होगा। यदि एस.डी.एम. इस अवधि से अधिक समय तक मामले को लंबित रखता है तो कोई भी पक्ष उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारी (जिला कलेक्टर) को लिखित में दे सकता है।
- सभी बयानों का अध्ययन करने के बाद जांच में यदि शिकायत सही पाई गई तो पंचायत प्रतिनिधि को हटाने का आदेश जारी होगा। किसी भी पदाधिकारी को पद से हटाने के बाद छः माह की अवधि में चुनाव द्वारा नया प्रतिनिधि चुना जाएगा।
- यदि पंचायत प्रतिनिधि को यह लगता है कि उसे गलत तरीके से पद से हटाया गया है और वह एस.डी.ओ. के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उसे 30 दिनों के अंदर जिला कलेक्टर को अपील करने का अधिकार होगा।
- धारा 40 के अंतर्गत हटाया गया व्यक्ति छह वर्ष तक पंचायत के पदों पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा।

धारा 40 का नोटिस मिलने के बाद क्या करें?

- धारा 40 का नोटिस मिलने का मतलब यह नहीं है कि उस पंचायत प्रतिनिधि को पद से हटा दिया गया या हटा दिया जाएगा। बल्कि यह पंचायत प्रतिनिधि को उसके विरुद्ध की गई शिकायत के विरुद्ध अपना पक्ष रखने का अवसर देता है।
- धारा 40 के तहत कारण बताओ नोटिस मिलने पर सबसे पहले संबंधित पंचायत प्रतिनिधि को यह बात समझना जरूरी है कि उस पर क्या आरोप है? यदि आरोप गलत है तो उसे अपना पक्ष पूरे तथ्यों के साथ एस.डी.ओ. द्वारा दी गई तारीख से पहले लिखित में प्रस्तुत करना चाहिए।
- अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब की एक प्रति अपने पास जरूर रखें। साथ ही एस.डी.ओ. कार्यालय में अपना जवाब प्रस्तुत करते समय उसकी पावती भी जरूर लें।
- पंचायत प्रतिनिधि को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसके खिलाफ क्या शिकायत है? किसने शिकायत की? और शिकायत कब की गई? उसे मिलने वाले कारण बताओ नोटिस में इन सभी जानकारियों का उल्लेख होना चाहिये।
- अपना जवाब प्रस्तुत करने के बाद ऐसे लोगों से मिलें जो आपके पक्ष में तथ्य प्रस्तुत कर सकें।
- एस.डी.ओ. द्वारा नियुक्त जांचकर्ता अधिकारी जब भी पंचायत का दौरा करें, तो उनसे संबंधित लोगों को मिलवाएं और उनके बयानों को दर्ज करवाएं।

पंचायतों का सम्मिलन, धारा-४४(७)

यदि ग्राम पंचायत का सरपंच या जनपद एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष ग्राम पंचायत की तीन बैठकें नहीं बुलाता है तो उसे धारा-44(7) के तहत पद से पृथक किया जा सकता है।

हानि, दुरुपयोजन के लिये पंचों आदि का दायित्व, धारा-८९

पंचायत का प्रत्येक पंच, जनपद एवं जिला पंचायत के सदस्य, पदाधिकारी, अधिकारी या सेवक पंचायत के किसी धन या अन्य संपत्ति की हानि करने में शामिल रहा हो या यह क्षति पूर्ति उसके कर्तव्य के प्रति घोर उपेक्षा कारण हुई है तो वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। ऐसी स्थिति में विहित अधिकारी वह रकम, हानि या दुरुपयोग की राशि वसूल कर सकता है। वसूली के पूर्व उस व्यक्ति या पदाधिकारी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा।

यदि संबंधित व्यक्ति रकम नहीं देता है तो ऐसी रकम भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जायेगी एवं पंचायत निधि में जमा की जायेगी। संबंधित पदधारी पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 6 वर्ष तक अपात्र होगा।

ग्राम स्तरीय कर्मचारियों/अधिकारियों का पर्यवेक्षण, धारा-७ (ठ)

मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 7 (ठ) में दी गई शक्तियों का उपयोग कर ग्राम सभा अपने क्षेत्र की सीमाओं के भीतर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के वेतन रोकने, छुट्टी मंजूर करने, कार्य का निरीक्षण करने तथा उनके द्वारा किये गए कामों का पर्यवेक्षण कर सकती है।

खाली होने पर पद भरने की व्यवस्था

पंचायत सदस्यों का कोई भी पद खाली होने की दशा में छ: माह के अंदर उप चुनाव द्वारा उसे भरा जाएगा। यदि सरपंच का पद खाली है तो छ: माह तक के लिए कार्यवाहक सरपंच पंचायत के बाकी पंचों में से नियुक्त किया जाएगा। इसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि कार्यवाहक सरपंच उसी वर्ग के पंच को बनाया जाएगा जिस वर्ग के लिए सरपंच पद आरक्षित है।

अध्याय -३

नोट—जो सही जबाब हो उस पर टिक करें

- धारा 40 से किस—किस को हटाया जा सकता है ?
सरपंच को / सचिव को / पंच को / उपसरपंच को
- धारा 40 लगाने का किसे अधिकार है ?
सीईओ जनपद को / एसडीएम को / कलेक्टर को
- अविश्वास प्रस्ताव किन—किन के खिलाफ लाया जा सकता है ?
पंच / सरपंच / उपसरपंच / जनपद सदस्य/जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष / जिला पंचायत उपाध्यक्ष
- अविश्वास प्रस्ताव कौन ला सकता है ?
पंच / सरपंच / उपसरपंच / सचिव / जनपद सदस्य / जनपद अध्यक्ष / जिला पंचायत अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालन अधिकारी / एसडीएम
- अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिये क्या करना होगा ?
.....
.....

-
-
-
6. क्या धारा 40 के तहत् हटाये गये पंचायत प्रतिनिधि हटाने के निर्णय के खिलाफ – अपील कर सकते हैं / अपील करने का अधिकार नहीं है
 7. किन–किन पंचायत प्रतिनिधियों को वापस बुलाया जा सकता है ?
पंच/उपसरपंच/सरपंच/जनपद सदस्य/जनपद अध्यक्ष/जनपद उपाध्यक्ष/ जिला पंचायत सदस्य/ जिला पंचायत उपाध्यक्ष/ जिला पंचायत अध्यक्ष
 8. जनता के द्वारा अपने चुने पंचायत प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की प्रक्रिया क्या है ?
-
-
-

9. अविश्वास प्रस्ताव एवं पंचायत प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के प्रावधानों में क्या अंतर है ? विवरण दें ?
-
-
-

चतुर्थ सत्र

01.00

पंचायत की समितियां

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसमें अलग–अलग जाति, समुदाय, संस्कृति के लोग निवास करते हैं। अलग–अलग क्षेत्रों में लोगों के रहन–सहन, खानपान, परम्पराओं, रीति रिवाजों में भी समानता नहीं है। इन्हीं असमानताओं के कारण लोगों की आवश्यकताएं भी क्षेत्रवार अलग–अलग हैं जिन्हें पूरा करने के लिये सरकार को कई प्रकार के अलग–अलग तरह के काम करने होते हैं। कामों को सही ढंग से करने के लिये केन्द्र, राज्य, जिला, जनपद, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के स्तर पर कामों और जिम्मेदारियों का बंटवारा किया जाता है। जिस तरह केन्द्र और राज्य स्तर पर अलग–अलग मंत्रालय, एवं विभिन्न विभागों के बीच कामों का बंटवारा किया जाता है, उसी प्रकार पंचायतों के स्तर पर भी कामों का बंटवारा किया जाता है। जिम्मेदारियों के बंटवारे के लिये पंचायत और ग्राम सभा की स्थायी समितियां गठित करने का प्रावधान है। जिसमें चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता की अपेक्षा पूरी करने के लिये निर्णय लेने, योजना बनाने, कार्यों का क्रियान्वयन व निगरानी करने की जिम्मेदारी और अधिकार दिये गए हैं।

सन् 2001 में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लागू ग्राम स्वराज व्यवस्था में ग्राम सभा की सात समितियां गठित करने का प्रावधान था। इस व्यवस्था में कुछ वर्षों बाद परिवर्तन कर अब मध्यप्रदेश शासन द्वारा पंचायत और ग्राम सभा की 3–3 स्थायी समितियां गठित करने का प्रावधान किया गया है।

ग्राम पंचायत की समितियों की ज़रूरत क्यों ?

पंचायती राज व्यवस्था में गांव में पंचायत के लिये पंच और सरपंच का चुनाव होता है। पंचायत के चुनाव और उसके गठन के बाद पंचायत क्या—क्या काम करेगी, क्या सरपंच ही सारे काम की जिम्मेदारी लेंगे और बाकी पंच सिर्फ मासिक बैठक में पंचायत के प्रस्तावों को पास करने का काम करेंगे, ऐसे कई सवाल दिमाग में आते हैं। पंचायत राज व्यवस्था, लोगों को ग्राम एवं स्वयं के विकास लिये केन्द्र में लाने की व्यवस्था है। इसलिये काम काज के बंटवारे के लिये स्थाई समितियों की व्यवस्था की गई है।


पंचायत के काम सभी चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर करें इसके लिए समितियां गठित की जाती हैं। समितियों के गठन से काम बंटवारा भी हो जाता है।

समितियों की आवश्यकता को आगे चित्र के माध्यम से समझाया गया है :



ग्राम पंचायत की स्थाई समितियों की जानकारी

ग्राम पंचायत में 3 स्थायी समितियां गठित की जाती है, जिन्हें नीचे चित्र के माध्यम से बताया गया है –



पंचायत की स्थायी समिति का गठन

- पंचायत चुनाव के बाद समितियों के गठन हेतु पंचायत की विशेष बैठक बुलायी जाएगी।
- बैठक में पंचों द्वारा अपने बीच से ही समिति के सदस्यों का चुनाव किया जावेगा।
- कोई भी पंच अधिकतम दो समितियों का सदस्य हो सकता है।
- सरपंच सभी समिति के अध्यक्ष होंगे।
- पंचायत सचिव तीनों समिति के पदेन सचिव होंगे।
- प्रत्येक समिति में चार सदस्य होंगे जिसमें कम से कम एक महिला होंगी।
- प्रत्येक समिति का एक बैठक रजिस्टर होगा।
- अगर कोई सदस्य स्वयं अपने पद को नहीं छोड़ता है या किसी कारणवश उसे पद से नहीं हटाया जाता है तो वह तो वह पांच साल तक अपने पद पर बना रह सकता है।

पंचायत की स्थायी समितियों की बैठक

- महीने में कम से कम में एक बैठक होगी।
- बैठक की तारीख अध्यक्ष तय करेंगे।
- बैठक से तीन दिन पहले समिति सदस्यों को बैठक की तारीख, स्थान, समय और विषय की जानकारी सचिव द्वारा दिया जाना जरुरी है।
- ग्राम पंचायत जरूरत के अनुसार स्थाई समिति की बैठक में सलाह लेने के लिये सरकारी अधिकारी व अन्य विषय विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकती है।
- जरूरत होने पर सदस्यों द्वारा मांग करने पर समिति की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

पंचायत की समितियों की बैठक का कोरम

- समिति की बैठक का कोरम समिति के आधे सदयों की उपस्थिति होने पर पूरा होगा।
- अगर तय तारीख में समिति के आधे सदस्य नहीं आते हैं तो बैठक स्थगित हो जायगी। कुछ समय बाद यह बैठक फिर कर सकते हैं जिसके लिए कोरम की जरूरत नहीं है पर इस बैठक में किसी भी नये विषय पर विचार नहीं होगा।

पंचायत की स्थाई समिति के फैसले

- समिति सदस्यों द्वारा बहुमत से फैसले लिये जायगे। अगर सदस्यों के मत बराबर रहते हैं तो सभापति (सरपंच, सरपंच के न होने की दशा में उपसरपंच) का मत निर्णयक मत होगा।
- सामान्य प्रशासन समिति सभी समितियों के फैसले पंचायत के सामने रखेगी।
- समिति के फैसलों को पंचायत बहुमत से स्वीकार कर सकती है या समिति को पुनर्विचार के लिये वापस भेज सकती है।
- अगर ग्राम पंचायत, स्थाई समितियों के फैसले को, बहुमत से पास करती है तो उस प्रस्ताव या योजना पर काम शुरू होगा। काम ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं यह देखना उस समिति की जिम्मेदारी है। अगर काम ठीक से नहीं हो रहा हो तो समिति उसकी रिपोर्ट पंचायत को करेगी ताकि पंचायत उस रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्यवाही कर सके।

स्थाई समितियों के कार्य

ग्राम पंचायत को दिये गये सारे कामों को तीन समितियों के बीच में बांटा गया है। इन तीन समितियों को कौन–कौन से काम देखने होंगे यह, अलगे चित्र में समझाया गया है :



कैसे करें समितियाँ कार्यों की निगरानी

ग्राम पंचायत में गठित होने वाली विभिन्न समितियों का काम उन्हें सौपे कार्यों का क्रियान्वयन करना है। साथ ही समिति का काम संबंधित सेवाओं की निगरानी करना भी है। उदाहरण के लिए शाला प्रबंधन समिति का दायित्व है कि वह स्कूल की निगरानी कर यह देखें कि वहां पढ़ाई की क्या स्थिति है, बच्चों एवं शिक्षकों की उपस्थिति कितनी है? मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता एवं नियमितता कैसी है? आदि। अन्य समितियों को भी इसी तरह संबंधित सेवाओं की निगरानी करना जरूरी है। इस बारे में यहां यह सवाल सामने आता है कि समितियों के सदस्य निगरानी कैसे करें? इस सवाल के संदर्भ में निगरानी की प्रक्रिया और कौशल इस प्रकार है:—

1. संबंधित सेवा का दौरा करना

निगरानी के लिए संबंधित सेवा को दौरा करना यानी वहां जाकर देखना एक बुनियादी प्रक्रिया है। सार्वजनिक सेवाओं का दौरा करने के लिये यह जरूरी है कि समिति के सदस्य समूह में जाए, न कि अकेले। इससे चर्चा एसं विचार-विमर्श में मदद मिलेगी। लगभग चार या पांच लोगों का समूह होना चाहिए, जिसमें महिलाएं भी शामिल हों।

2. अवलोकन

अवलोकन निगरानी का दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। अवलोकन का मतलब किसी चीज को गहराई से देखना है। उदाहरण के लिए यदि हम आंगनवाड़ी का दौरा करते हैं तो यह देख सकते हैं कि वहां कितने बच्चे उपस्थित हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका क्या करती हैं, वहां साफ-सफाई और पीने के पानी की क्या व्यवस्था है तथा पोषण आहार एवं भोजन कैसा है आदि। इस तरह अन्य सार्वजनिक सेवाओं का अवलोकन कर वहां की स्थितियां पता लगायी जा सकती हैं। अवलोकन के अंतर्गत कहां क्या स्थिति देखने को मिली, यह एक डायरी में लिखना चाहिए। यदि कुछ खामियां निकलकर आती हैं तो निराकरण हेतु संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को लिखित में अवगत कराया जा सकता है।

3. दस्तावेजों का अध्ययन

हर सार्वजनिक सेवा में चाहे वे स्कूल, आंगनवाड़ी या राशन दुकान आदि हो, कुछ रजिस्टर एवं लिखित दस्तावेज होते हैं। निगरानी के दौरान उन दस्तावेजों को पढ़कर भी वहां की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि स्कूल की निगरानी करने जाते हैं तो वहां शिक्षकों एवं बच्चों के उपस्थिति रजिस्टर देखकर पता लगा सकते हैं इनकी उपस्थिति की क्या स्थिति है। इसी तरह मध्यान्ह भोजन रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि कई दस्तावेज होते हैं।

4. कर्मचारियों से संवाद

कर्मचारियों से संवाद निगरानी का एक खास पहलू है। निगरानी दल द्वारा वहां उपस्थित कर्मचारियों से बातचीत कर उस सेवा की स्थिति जानी जा सकती है तथा वहां की समस्याओं के समाधान ढूढ़े जा सकते

हैं। कर्मचारियों से बातचीत में यह नहीं झलकना चाहिए कि हम कोई गलती ढूँढ़ने आए हैं, बल्कि यह स्पष्ट करना चाहिए कि निगरानी का मुख्य उद्देश्य उस सेवा को बेहतर बनाना और उस तक सभी पात्र एवं जरूरतमंद लोगों की पहुंच बनाना है।

अध्यास ४

प्रशिक्षण के बाद प्रतिभागियों के साथ नीचे दिये गए अभ्यास को कराएं। यदि प्रतिभागियों में लिखने-पढ़ने वालों की संख्या कम हो तो समूह बनाकर भी अभ्यास कराया जा सकता है। समूह बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि हर समूह में कम से कम एक-दो प्रतिभागी लिखने पढ़ने वाले अवश्य हों। यदि प्रतिभागियों में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है तो खुले मंच में प्रतिभागियों के साथ नीचे दिये गए प्रश्न पूछें। खुले मंच में प्रश्न करते समय ध्यान रखें कि एक प्रतिभागी को केवल एक प्रश्न का जवाब देने का अवसर दें, ताकि अधिक से अधिक प्रतिभागियों को अवसर मिल सके।

1. ग्राम पंचायत में कितनी स्थायी समितियां होती हैं उनके नाम बताइये ?

.....

2. ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन होते हैं ?

.....

3. पंचायत की कितनी स्थायी समितियां होती हैं ?

.....

4. पंचायत की स्थायी समितियों के नाम बताइये ?

.....

5. इन समितियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं में से कितने-कितने सदस्य का चयन जरूरी है ?

.....

6. स्थायी समितियों से पंचायत को क्या लाभ है ?

.....

7. स्थायी समिति की बैठकों में कोरम पूरा होने के लिये कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है ?

.....

8. यदि कोरम पूरा न हो तो बैठक के लिये क्या प्रावधान हैं ?

.....

9. स्थायी समितियों की बैठक में मुद्दों पर निर्णय कैसे लिये जाते हैं ?

.....

10. यदि किसी मुद्दे पर निर्णय में आधे सदस्यों का मत हॉ तथा आधे सदस्यों का मत न मैं हो तो, निर्णय कैसे लिया जाएगा ?

.....

11. स्थायी समितियों की बैठकों की तारीख कौन तय करता है और बैठक किसके द्वारा बुलायी जाती है ?

.....